प्रेस नोट ***जनपद संतकबीरनगर*** ***दिनाँक 02.11.2026***

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने के मामले में अभियुक्त को न्यायाल उठने तक की अभिरक्षा व 1500 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे ***"ऑपरेशन कन्विक्शन"*** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनाँक 1.08.2026 को माननीय न्यायालय सी0जे0(एस0डी)/ए0सी0जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर के न्यायाधीश द्वारा अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व 7500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरण:-

वादी मुकदमा द्वारा थाना बखिरा पर बावत अभियुक्त रमेश यादव पुत्र सीताराम यादव निवासी तेरहमलप थाना नगरा जनपद बलिया के विरुद्ध वादी के भांजी को लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने से घायल होने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया था। प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना बखिरा पर अभियोग पंजीकृत कर हे0का0 श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरण:-

मु0अ0सं0 407/2016 धारा 279/337/338/427 भादवि थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त रमेश यादव को दोष सिद्ध के आधार पर न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा एवं 7500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 30 दिवस का साधारण कारावास भुगतना होगा।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 06 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना महुली पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 6885 द्वारा दो मोटरसाईकिलों का आपस में टक्कर हो जाने के कारण दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति को भेजवाया गया अस्पताल-
पीआरवी 6885 को थाना मेंहदावल क्षेत्रांतर्गत बौर ब्यास रोड से कालर द्वारा दो मोटरसाईकिल का आपस में टक्कर हो जाने के कारण दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति (01. सोनू पुत्र राम सुभाष निवासी टड़वरिया थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया,सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायल उक्त व्यक्ति को 108 एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु सीएचसी मेहंदावल भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना मेहंदावल को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर उक्त घायल को ईलाज हेतु सीएचसी मेहंदावल भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।
पीआरवी स्टाफ- का0 संदीप कुमार सिंह, , हो०चा0 पंकज मिश्रा।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 275 वाहनों से 386,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 02.11.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 275 वाहनों से 386,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।